


न्यायालय उप समाहर्ता भूमि सुधार, रंका।

नामांतरण अपील वाद सं०- 02/2019-20

हुसैनी अंसारी बनाम मेहरूण बीबी

दिनांक	पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश	अभ्युक्ति
25/2/2022	<p>अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>अपीलार्थी हुसैनी अंसारी पिता- स्व० सलामत मियां ग्राम- रंका कला पो०- रंका थाना- रंका जिला- गढ़वा के द्वारा दिये गये आवेदन के आलोक में यह वाद प्रारम्भ किया गया है। अंचल अधिकारी, रंका के द्वारा नामांतरण वाद सं०- 629/2008-09 में मौजा रंका कला के खाता सं०- पुराना - 01 एवं नया- 95 प्लॉट सं०- पुराना- 214 नया- 550 रकबा पुराना- 0.23 ए० एवं नया- 0.21 ए० में अंचल अधिकारी द्वारा आदेश में भी दर्शाया गया है कि उक्त भूमि में सभी भाई-बहनों का हक एवं अधिकार है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक ने भी प्रतिवेदित किया है कि वर्तमान में खाता सं०- 95 प्लॉट सं०- 550 रकबा- 0.21 ए० मेहरूण बीबी के नाम से मांग पंजी 2 के पेज सं०- 16/XV में संधारित है जिससे मेहरूण बीबी ने कुल रकबा में से 0.05 ए० भूमि बिक्रय मुस्तकिम अंसारी को किया है जिसका मांग पंजी 2 के 75/ XV में चल रहा है। साथ ही साथ इन उपरोक्त डिमाण्ड का ऑनलाईन भी हो चुका है। स्थल जॉच के दौराण भी पाया गया कि वर्तमान में मेहरूण बीबी एवं मुस्तकिम अंसारी अपने-अपने प्लॉट पर दखल कब्जा है।</p> <p>अतः न्यायालय सभी बिन्दुओं पर गौर करते हुए नामांतरण अपील वाद सं०- 02/2019-20 को खारीज किया जाता है। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <p style="text-align: right;"> 25.2.22 उप समाहर्ता भूमि सुधार, रंका।</p>	